वित्तीय स्वीकृति/समयबद्ध/फैक्स

संख्याः4/2018/858/55-पर्या-2-17/100(पर्या0)2017

प्रेषक,

निहालुद्दीन खां,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः** 19 जनवरी, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2107-18 में पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण निदेशालय के पत्र संख्याः 665/पर्या0/एस0ओ0 ई0आर0/2017-18 दिनांकः 16 अक्टूबर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांकः 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित शर्तों के अधीन मे0 ईकोमैन लैबोरेट्रीज प्रा0 लि0 द्वारा वाराणसी व मेरठ की स्टेट्स आफ इन्वायरमेन्ट रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु योजना के तृतीय (अंतिम) चरण के कार्यान्वयन हेतु श्री राज्यपाल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रश्नगत मद में प्राविधनित कुल धनराशि रू0 10,00,000/- में से रू0 1,10,000.00 (रू0 एक लाख, दस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों/ मैनुअल आदि का अनुपालन करते हुए किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यकता हो, वहां शासन अथवा सक्षम अधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग के लेखाशीर्षक-"3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-03-पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरूद्भवन-003-पर्यावरणीय शिक्षा/ प्रशिक्षण/विस्तार-04-पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(निहालुद्दीन खां)
संयुक्त सचिव।

संख्याः4/2018/858/55-पर्या-2-17/100(पर्या0)2017 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-7/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2
4- नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1

आज्ञा से

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।